संख्या-31/2026/001-128डब्लू-26-27-3099/305/2024

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषय:- हिन्डन कृष्णी परियोजना के अन्तर्गत निर्मित भडल माईनर एवं मिलाना माईनर के निर्माण में प्रयुक्त भूमि के मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-285/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/यमुना, दिनांक 01.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली से सम्बन्धित हिन्डन कृष्णी परियोजना के अन्तर्गत निर्मित भडल माईनर एवं मिलाना माईनर के निर्माण में भू-स्वामियों/कृषकों की प्रयुक्त भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू0 4,00,00,000.00 (रूपये चार करोड़ मात्र) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली से सम्बन्धित हिन्डन कृष्णी परियोजना के अन्तर्गत निर्मित मण्डल माईनर एवं मिलाना माईनर के निर्माण में भू-स्वामियों/कृषकों की प्रयुक्त भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू0 4,00,00,000.00 (रूपये चार करोड़ मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध:-

(1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय प्रशासकीय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(8) प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्याः6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त भुगतान करने के पूर्व पुनः एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवृत्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाय। किसी गलत भू-स्वामी को किये गये भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 4,00,00,000.00 (रूपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-094 लेखाशीर्षक- 4700-06-050-10-16-24 पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-225-X-2026-27, दिनांक-22 जुलाई 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शीतला प्रसाद
उप सचिव ।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।

6- मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,ओखला, नई दिल्ली।

7- अनु सचिव(लेखा)/ एवं नोडल अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- कोषाधिकारी, शामली।

9- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सहारनपुर।

10- अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली।

11-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शीतला प्रसाद
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।